

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, बांदा, कन्नौज, झाँसी एवं सहारनपुर।

पत्रांक: 559 /सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/एस0सी0पी0(मद)/2012-13 लखनऊ, दिनांक: 20 मार्च, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान में अवमुक्त धनराशि के समर्पण एवं आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस कार्यालय के पत्र संख्या-जी0ओ0-07/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0/एस0सी0पी0मद/2012-13 दिनांक 25-5-2012, पत्रांक:जी0ओ0-20/सम्प्रेक्षा/एस0 सी0पी0 मद/2012-13 दिनांक 28-9-2012 एवं पत्रांक-जी0ओ0-30/सम्प्रेक्षा/एस0सी0पी0 मद/2012-13 दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-01-इन्दिरा आवास योजना (के0-75/रा0-25-रा0)-35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत आवंटित कुल धनराशि रू0 12544.16 लाख में से पूर्व में जनपदों द्वारा किये समर्पण के सापेक्ष मुख्यालय पर रू0 524.48 लाख अवशेष है। पुनः जनपद झाँसी द्वारा रू0 3.87 लाख एवं सहारनपुर द्वारा रू0 14.36 लाख कुल रू0 18.23 लाख समर्पित की गयी है जिसका समर्पण स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार समर्पण प्राप्त धनराशि रू0 542.71 लाख (रूपया पाँच करोड़ बयालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार आवंटित की जा रही है। आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्यमदों एवं योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(के0 रविन्द नायक)


आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: 559 /सम्प्रेक्षा/इं0आ0यो0/एस0सी0पी0(मद)/2012-13, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 3- सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, बांदा, कन्नौज।
- 6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी एवं सहारनपुर को इस आशय से कि इन जनपदों द्वारा समर्पित धनराशि को अपने अभिलेखों में घटाने का कष्ट करें।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-2/नियोजन अनुभाग-4
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ0प्र0 शासन।


(के0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।


पत्रांक: 559 /सम्प्रेक्षा/इ०आ०यो०/एस०सी०पी०(मद)/2012-13 दिनांक: २८ मार्च, 2013 का संलग्नक।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत एस०सी०पी० मद राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रू० में)

| क्र०सं० | जनपद का नाम | आवंटित की जा रही धनराशि | प्रगामी योग |
|---------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आजमगढ़ | 147.10 | 592.23 |
| 2 | सोनभद्र | 122.79 | 215.75 |
| 3 | वाराणसी | 150.24 | 257.18 |
| 4 | बांदा | 53.01 | 131.08 |
| 5 | कन्नौज | 69.57 | 199.06 |
| | योग:- | 542.71 | - |

(रूपया पाँच करोड़ बयालिस लाख इकहत्तर मात्र)


(यू०एन० उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।